न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

निर्णय मिसल संख्या/नयाबत /21/2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

श्री बजरंग सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी खरखड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

निर्णय दिनांकः– 07 अक्तूबर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है, कि पटवारी हल्का खरखड़ा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम खरखड़ा स्थित राजकीय भूमि ख0न0 340 के रकबा 0.12 है0, में से रकबा 0.12 है0 किस्म बंजड़–2 में छड़ी व बाड़ लगाकर श्री बजरंग पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी खरखड़ा के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब मे गैर सायल ने जाहीर किया है कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा 50–60 वृर्षो के समय से चला आ रहा है। पुराना कब्जा होने की बाबत कोई सबूत होना नही बताया है। आज गैरसायल हाजिर भी नहीं है। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नही हुये है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 0.07 रूपया का 50 गुणा= 4/ रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दप्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirshan Singh
Date: 2021.02.23 12:24:41 IST
Reason: SelfAttested

(अन्नु शर्मा)
नायब तहसीलदार खेतड़ी
(राज.)

रा. ले. सं. 4 ... 2021
पृष्ठ नं. 22 ... 4/–
कायम की ...

तहसील राजस्व लेखाकार
24-12-20